

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अप्रार्थी  
की तारीख

22.12.2021

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

तहसीलदार गुडामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा गोलिया कला के खसरा नंबर 4 में से रकबा 20 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु निवेदन किया है।

हमने राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा गोलिया कला में अवस्थित भूमि खसरा नं. 4 रकबा 1596-16 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां हैं, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुडामालानी ने इस संबंध में कोई जाँच नहीं कर बिना कोई रिकॉर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थीगण में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफर किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.1968 को ग्राम गोलिया कला के खसरा नं. 4/3 रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात् प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रैफर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

*Lu*  
जिला कलक्टर  
आजमेर